उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों का विश्लेषण जिनके कारण भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (1) सरकार को भारत के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव बरतने से विनिर्दिष्टतः वर्जित करता है। यह उपबंध अनुच्छेद 14 में दिये गये समानता के सिद्धांत के एक अन्य आयाम को निरूपित करता है। यदि कोई कानून अनुच्छेद 15(1) की प्रतिषद्ध सीमाओं के अंतर्गत आता है तो उसे अनुच्छेद 14 का सहारा लेकर और उचित वर्गीकरण का कोई सिद्धांत लागू करके विधिमान्य नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 14 और 15 का संचयी प्रभाव यह नहीं है कि सरकार असमान कानूनों को पारित ही नहीं कर सकती, परन्तु यदि वह असमान कानूनों को पारित कर देती है तो वे "उचित-वर्गीकरण के आधार पर न्यायोचित ठहराए जाने होगें",क्योंकि अनुच्छेद 15(1) के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म-स्थान मात्र भेदभाव का कोई उचित आधार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29(2) भी नागरिकों को सरकार की किसी ऐसी कार्यवाई के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है जिसके अनुसार शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव बरता जाता हो।

संविधान के लागू होने के पश्चात शीघ्र ही, इस स्थिति में होते हुए,सरकार के उन कार्यक्रमों को चुनौतियां दी गई जिनका लक्ष्य शिक्षा और आवास के क्षेत्र में समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लिये विशेष व्यवस्थाएं करना था।

दो न्यायिक निर्णयों, जिनमें से एक उच्चतम न्यायालय का तथा दूसरा बम्बई उच्च न्यायालय का था के कारण सन् 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय है- मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन[1] संविधान के लागू होने से पूर्व अनेक वर्षो तक मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों जैसे व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश का नियमन साम्प्रदायिक शासनादेश (कम्युनल जी.ओ.) में निर्धारित धर्म,जाति और मूलवंश के आधार पर किया जाता था। चयन समिति द्वारा भरी जाने बाले प्रत्येक 14 सीटों के लिये उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाता था-

गैर ब्राह्मण (हिन्दू)	6
पिछड़े हिन्दू	2
ब्राह्मण	2
हरिजन	2
ऐग्लो इंडियन और भारतीय क्रिश्चियन	1
मुस्लिम	1

दो ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जिनमें से एक को मेडिकल कालेज में और दूसरे को इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश नहीं मिल सका था,उक्त साम्प्रदायिक शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वह अनुच्छेद 29(2) में प्रदत्त मूल अधिकार का अतिक्रमण करना है। यद्यपि उनके पास शैक्षणिक अर्हताएं थी तो भी उन्हें ब्राह्मण होने के कारण प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया था। प्रवेश देने से इंकार प्रकटतः धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर किया गया था। न्यायमूर्ति एस.आर.दास के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त साम्प्रदायिक शासनादेश में दिया गया वर्गीकरण धर्म, मूलवंश और जाति पर आधारित है जो अनुच्छेद 29(2) के अधीन निषिद्ध है। उक्त न्यायालय ने सरकार का यह तर्क कि उसे अनुच्छेद 46 में यह आदेश दिया गया है कि वह समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गो के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था करे,इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मूल अधिकार अलंध्य है और उनका संविधान के भाग III के उचित अनुच्छेद में उपबंधित सीमा को छोड़कर किसी विधायी अथवा कार्यपालिक कृत्य या आदेश से न्यून नहीं किया जा सकता। हमारी राय में संविधान के भाग III और IV में दिये गये उपबंधों को समझने का सही ढंग यही है।

उक्त न्यायालय ने साम्प्रदायिक शासनादेश को इस आधार पर अविधिमान्य ठहराया कि उसने उक्त कालेजों में प्रवेश का वर्गीकरण धर्म, मूल, वंश, और जाति के आधार पर किया था।

दूसरा निर्णय बम्बई उच्च न्यायालय का है जो उसने जसवन्त कौर बनाम बम्बई राज्य[3] में दिया था। इस मुकदमें में एक हरिजन कालोनी की स्थापना के लिये कुछ भूमि का अधिग्रहण करने के लिये बम्बई भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 के अधीन दिये गये पुणे के समाहर्ता के आदेश को चुनौती दी गई थी कि वह अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण करता है। इस चुनौती का आधार यह था कि, केवल हरिजनों की सुविधाओं के आशय से किसी कालोनी का स्थापित किया जाना उपर्युक्त संविधानिक उपबंध के अधीन भेदमूलक है। उक्त न्यायालय ने यह भी अधिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 46 किसी मूल अधिकार का अधिरोहण नहीं कर सकता। परिणामतः उक्त आदेश शून्य

घोषित कर दिया गया।

सम्भवत: इस मुकदमें के निर्णय के समय तक (18 फरवरी 1952) संविधान का पहला संशोधन लागू नहीं हुआ था। मुख्य न्यायमूर्ति चागला ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया-

> ''हम बलपूर्वक कह सकते हैं कि संशोधन हो जाने के बाद उक्त राज्य के लिये यह संभव होगा कि वह पिछड़े वर्ग के हित संवर्द्धन के लिये किसी हरिजन कालोनी की स्थापना कर सकें किन्तु उक्त संशोधन की अधिनियमिति किये जाने तक अनुच्छेद 15 की व्यवस्था के अनुसार, राज्य किसी जाति अथवा समुदाय के पक्ष में भेदभाव बरतने के लिये सक्षम नहीं है।''[4]

अत: यह कहा जा सकता है कि इन्हीं दो निर्णयों के कारण अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15 में खण्ड 4 शामिल करके सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी है जिससे कि वह अनुच्छेद 15 (1) अथवा अनुच्छेद 29के खण्ड (2) के रहते हुए नागरिकों के किन्हीं सामाजिक अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की समुन्नति के लिये विशेष व्यवस्था कर सकती है। संविधान के इस संशोधन का उद्देश्य 15 और 19 को अनुच्छेद 16(4) के समनुरूप बनाना है, जो सरकार को लोक नियोजन के मामलों में पिछड़े वर्गों के लिये विशेष व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान करता है।

---

1. ए.आई.आर. 1951, एस. सं. 226
3. ए.आई.आर. 1952, बम्बई, 461
4. ए.आई.आर. 1952, बम्बई, 462